भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2231
दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

कुपोषण संबंधी आंकड़ा संग्रहण

2231 **श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों और 49 वर्ष से अधिक आयु के व्यस्कों के कुपोषण से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करती है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार अगले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से उपरोक्त श्रेणी के लोगों के कुपोषण के संबंध में आंकड़े एकत्र करने पर विचार करेगी;
(घ) क्या पोषण 2.0 के अंतर्गत 'बच्चों' और 'बुजुर्गों' को शामिल किया जाएगा; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच&एफडब्ल्यू) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) का संचालन करता है, जो पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने में आयोजित एक बड़े पैमाने पर, बहु-दौर का सर्वेक्षण है और राष्ट्रीय और राज्यवार जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान करता है। एनएफएचएस रिपोर्ट https://www.nfhsiips.in/nfhsuser/publication.php पर देखी जा सकती है।

2019-21 में आयोजित एनएफएचएस-5 में अन्य बातों के साथ-साथ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं और 15-54 वर्ष की आयु के पुरुषों की पोषण स्थिति पर डेटा उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, 2017-18 में आयोजित भारत में अनुदैर्ध्य उम्र बढ़ने के अध्ययन (एलएएसआई) की वेव-1 में अन्य बातों के साथ-साथ 45-59 आयु वर्ग [साथ ही जीवनसाथी (किसी भी आयु) के लिए भी डेटा उपलब्ध कराया गया है] और 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं में कम वजन, अधिक वजन और मोटापे की व्यापकता पर डेटा उपलब्ध कराया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को कार्यान्वित करता है, जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना के घटक शामिल हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

लाभार्थियों में बच्चे (0 से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 14-18 वर्ष) शामिल हैं। पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

i. पूरक पोषण (एसएनपी)
ii. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच, और
vi. रेफरल सेवाएं

इस योजना के तहत, सभी बच्चों (0-6 वर्ष) की वृद्धि की निगरानी (ऊंचाई और वजन सहित) मासिक आधार पर मापी जाती है। उनके पोषण संकेतक जैसे कि ठिगनापन और बच्चों (0-6 वर्ष) का कम वजन, तथा बच्चों में दुबलापन (0-5 वर्ष), डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार मापा जाता है।

*****